आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

REC Limited | आर ई सी लिमिटेड
(भारत सरकार का महारत्न उद्यम) (A Maharatna Government of India Enterprise)
पंजीकृत कार्यालय: कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नं. आई–4, इफको चौक मेट्रो स्टेशन के पास,सेक्टर–29, गुरुग्राम–122001(हरियाणा)
दूरभाष: +91 124 444 1300 | वेबसाइट: www.recindia.nic.in
सीआईएन: L40101DL1969GOI005095 | जीएसटी नं.: 06AAACR4512R3Z3

एसईसी-1/187(2)/2026/2951 **दिनांक: 30 जुलाई , 2026**

लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई –400 051	**कॉर्पोरेट संबंध विभाग** बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फिरोज जीजीभोय टॉवर्स दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई – 400 001
स्क्रिप कोड-RECLTD	**स्क्रिप कोड-532955**
Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051.	**Corporate Relationship Department** BSE Limited 1st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001.
Scrip Code-RECLTD	**Scrip Code-532955**

विषय : परियोजना-विशिष्ट एसपीवी/सहायक कंपनी की बिक्री एवं स्थानांतरण की सूचना।

महोदय/ महोदया,

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अनुपालन में, यह सूचित किया जाता है कि आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) द्वारा आवश्यक प्रतिफल प्राप्त किए जाने के उपरांत, आरईसीपीडीसीएल द्वारा धारित रायप्टे पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड की संपूर्ण शेयरधारिता, जिसमें 50,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं, को उसकी समस्त परिसंपत्तियों एवं देनदारियों सहित शुल्क-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित सफल बोलीदाता के पक्ष में 30 जुलाई, 2026 को स्थानांतरित कर दिया गया है।

अतएव, उपर्युक्त तिथि से उक्त परियोजना-विशिष्ट विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी)/सहायक कंपनी, आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) तथा आरईसी लिमिटेड की सहायक कंपनी नहीं रही है। अन्य अपेक्षित विवरण इसके साथ **अनुलग्नक-I** के रूप में संलग्न हैं।

यह आपकी जानकारी के लिए है ।

धन्यवाद ,

भवदीय,
कृते आरईसी लिमिटेड
Digitally Signed

(दिनेश गर्ग)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार

अनुलग्नक-I

सहायक कंपनी की बिक्री एवं स्थानांतरण का विवरण

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>विवरण</th><th>ब्यौरा</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>गत वित्तीय वर्ष के दौरान सूचीबद्ध इकाई की ऐसी इकाई अथवा विभाग द्वारा योगदान किए गए टर्नओवर अथवा राजस्व अथवा आय तथा निवल मूल्य की राशि एवं प्रतिशत।</td><td>नगण्य</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>वह तिथि। जिस पर बिक्री का समझौता किया गया है।</td><td rowspan="3">आरईसीपीडीसीएल और सफल बोलीदाता के बीच 30 जुलाई, 2026 को शेयर खरीद समझौता (एसपीए) निष्पादित किया गया है।

प्रतिफल में ₹10,86,62,034/- (करों सहित) का अधिग्रहण मूल्य शामिल है, जिसमें व्यावसायिक शुल्क तथा व्ययों की प्रतिपूर्ति भी सम्मिलित है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>बिक्री/निपटान पूर्ण होने की संभावित तिथि।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>ऐसे विक्रय/निपटान के बदले प्राप्त प्रतिफल।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>खरीदार का संक्षिप्त विवरण तथा क्या खरीदार प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह/समूह कंपनियों से संबंधित है। यदि हां, तो उसका विवरण।</td><td>एसपीवी का नाम : रायट्टे पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड

सफल बोलीदाता का नाम : द टाटा पावर कंपनी लिमिटेड।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि उपर्युक्त सफल बोलीदाता प्रवर्तक अथवा प्रवर्तक समूह से संबंधित नहीं है।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>क्या यह लेनदेन संबंधित पक्ष लेनदेन की श्रेणी में आएगा? यदि हां, तो क्या यह लेनदेन "स्वतंत्र संव्यवहार"आधार पर किया गया है ।</td><td>यह लेनदेन संबंधित पक्ष लेनदेन के दायरे में नहीं आता है।</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>क्या उपक्रम की बिक्री, पट्टे पर दिया जाना अथवा निपटान व्यवस्था योजना से बाहर है? यदि हां, तो एलओडीआर विनियमों के विनियम 37क के अनुपालन सहित उसका विवरण।</td><td>नगण्य</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>क्या यह लेनदेन स्लंप सेल की प्रकृति का है।</td><td>उपरोक्त क्रम संख्या 5 में दिए गए विवरण के अनुसार रायट्टे पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के सफल बोलीदाता के पक्ष में विक्रय एवं स्थानांतरण का प्रस्ताव स्लंप सेल की प्रकृति का नहीं है।

इसके अतिरिक्त, एसपीवी के विक्रय एवं स्थानांतरण के लिए प्रतिफल का निर्धारण भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।</td></tr>
</table>

****